न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 20/2016

कुलवंत सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जी बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री अशोक कुमार छाबड़ा
2. पैरोकार राज.

निर्णय दिनांकः 10.07.2019

1. यह अपील तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 17.03.16 प्रकरण संख्या 20/2016 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए 992 रूपये तावान कायम करते हुए, वादग्रस्त भूमि चक 29 जीबी ए मु. नं. 183/411 कुल 2.480 है0 भूमि से बेदखल कर फसल जब्त कर नीलाम करने तथा पैनल्टी राशि वसूल करने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। मातहत न्यायालय द्वारा बिना नोटिस दिये, बिना सुने, इकतरफा कार्यवाही की गई है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.03.16 को पत्रावली दर्ज की गयी, एवं दिनांक 17.03.16 को ही गैरहाजिरी लिखकर फसल कुर्क करने का आदेश 17.03.16 को ही बिना सुने, बिना नोटिस दिये ही दे दिया है जो कि विधि के विपरीत है। उक्त वादग्रस्त भूमि माधुरी सिंह की खातेदारी थी जिसने 1966–67 में बेच दी थी एवं खरीद के रोज से अपीलांट इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है जिसका सीलिगं का केस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में चला था जिसमें दिनांक 21.04.2003 को भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये थे उसकी पालना में वादग्रसत भूमि का कब्जा ले लिया था लेकिन अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करके स्टे ले लिया था। राजस्व मंण्डल अजमेर द्वारा जो 21.04.2003 का आदेश था वो 06.06.2006 को निरस्त करके वापिस अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भेज दिया जो आज के दिन भी जेरकार है। अधीनस्थ अदालत तहसीलदार खुद इसमें पार्टी था लेकिन बिना जांच किये तावान की कार्यवाही करदी है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती हैं।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 20/2016 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार छाबड़ा उपस्थित हुए। एवं राजपेरोकार उपस्थित आए। बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने कहा कि निर्णय दिनांक 17.03.16 में तहसीलदार द्वारा एकतरफा निर्णय किया गया एवं नोटिस की तामील व्यक्तिगत नहीं हुई बिना सूचना दिये दिनांक 17.03.16 को 2.480 है0 कमाण्ड भूमि पर तावान लगा दिया एवं फसल कुर्क कर ली एवं भूमि से बेदखल करने के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

आदेश दिये गये। वकील अपीलांट ने कहा कि तीन सजाएं एक साथ नहीं हो सकती। अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 21.04.2003 के आदेश से सीलिंग सीमा के अधीन मानते हुए ये आदेश पारित किये। उसकी पालना में वादग्रसत भूमि का कब्जा ले लिया था लेकिन अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करके स्टे ले लिया था। राजस्व मंण्डल अजमेर द्वारा जो 21.04.2003 का आदेश था वो 06.06.2006 को निरस्त करके वापिस अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भेज दिया जो आज दिन जेरकार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, श्रीविजयनगर का निर्णय दिनांक 17.03.16 खारिज किया जावे।

3. राज पैरोकार ने बहस के दौरान बताया कि अपीलांट को नोटिस दिया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस की विधिवत तामील हो चुकी है परन्तु वह उपस्थित नहीं आया अतः निवेदन है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है अतः अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया जिससे यह तथ्य सामने आता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा इसी भूमि का सीलिंग से संबंधित प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है जो आज भी विचाराधीन है अतः हम भी इस प्रकरण को तहसीलदार, श्रीविजयनगर को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner